भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या –3140
दिनांक 09.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

राजनयिक संबंध

3140. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार का राजनयिक संबंधों और विदेश सहयोग के प्रशासन हेतु केरल राज्य सरकार की सहायता लेने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकार को राज्य में विदेश सहयोग का नया विभाग बनाने और संबंधित विभाग में सचिव नियुक्त करने के लिए निर्देश जारी किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के संज्ञान में यह आया है कि केरल सरकार ने एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को केरल में विदेश सहयोग विभाग का सचिव नियुक्त किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विदेश सहयोग विभाग के साथ कार्य कर रहे राज्य सरकार के सचिव का कार्य–दायित्व क्या है;

(ङ) क्या केरल राज्य सरकार ने भारत सरकार को राज्य में विदेश सहयोग विभाग हेतु सचिव की नियुक्ति की आवश्यकता के बारे में सूचित किया था; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्गेरिटा)

(क) जी, नहीं। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची । की मद 10 के अंतर्गत, राजनयिक संबंधों, विदेश मामलों तथा ऐसे मामलों जिनके तहत किसी अन्य देश के साथ संघ का संबंध स्थापित किया जाता है, से संबंधित सभी मामले संघ सरकार द्वारा शासित होते हैं।

(ख) जी, नहीं। राज्य सरकारों को केवल एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इकाई (आईसीयू) स्थापित करने की सलाह दी गई थी जो संघ सरकार के साथ परामर्श एवं सहमति से कार्य करेगी।

(ग) और (घ) जी हाँ, सरकार के संज्ञान में ऐसी अधिसूचना आई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

*****